उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में निजी सचिव मा. कुलपति महोदय एवं आशुलिपिक (व्यक्तिक सहायक) पद के लिए आयोजित की जाने वाली हिन्दी टंकण परीक्षा हेतु निर्देश

हिंदी टंकण परीक्षा हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया व निर्देश लागू रहेंगे–

1. अभ्यर्थी टंकण (Typing) हेतु स्वयं का की–बोर्ड (USB) उपयोग कर सकते हैं।
2. टंकण परीक्षा Kruti Dev 010 font में कराई जायेगी।
3. टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर का 'मॉनिटर', 'की–बोर्ड' व 'माउस' ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है और यह भी देख लें कि 'की–बोर्ड' में Caps Lock Key ऑन तो नहीं है।
4. टंकण परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व अभ्यर्थियों को 02 मिनट का Trial Demo विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर पर दिया जायेगा।
5. अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के दौरान किसी भी Function Key, Crtl+F4, Crtl+Esc, Crtl+Alt+Delete, Alt+F4, Alt+Space आदि के अनुप्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त वर्जित Key का प्रयोग करता है अथवा जानबूझ कर कम्प्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा टंकित किये गये कुल कुंजी दबाव (Total Key Depression) की 5% तक अशुद्धियां स्वीकार्य हैं अर्थात उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जायेगा परंतु 5% से अधिक अशुद्धियां होने पर 01 गलत कुंजी दबाव के सापेक्ष 5 सही कुंजी दबाव (Key Depression) दण्डस्वरूप काटे जायेंगे। तत्पश्चात उसकी कुंजी दबाव (Key Depression) प्रति घण्टा अर्थात KDPH निकाली जायेगी।
7. टंकण परीक्षा का निर्धारित समय 10 मिनट का होगा।
8. हिंदी टंकण परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हक टंकण गति 4000 KDPH प्राप्त करनी अनिवार्य है।
9. अभ्यर्थी को उसके द्वारा टंकित विषय वस्तु की एक छायाप्रति दी जायेगी। मूल प्रति अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवा कर विश्वविद्यालय अपने पास परीक्षा परिणाम हेतु सुरक्षित रखेगा।
10. छद्म अभ्यर्थी के टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने पर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. टंकण परीक्षा की वीडियोग्राफी की जायेगी।
12. परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी को अपने साथ प्रवेश पत्र, पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
13. परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन, पेजर, पेन ड्राइव एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में निजी सचिव मा. कुलपति महोदय एवं आशुलिपिक (व्यक्तिक सहायक) पद के लिए आयोजित की जाने वाली हिंदी आशुलिपि परीक्षा हेतु निर्देश

हिंदी आशुलिपि परीक्षा हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया व निर्देश लागू रहेंगे–

1. अभ्यर्थी टंकण (Typing) हेतु स्वयं का की–बोर्ड (USB) उपयोग कर सकते हैं।
2. आशुलेखन परीक्षा (डिक्टेशन) की समयावधि 05 मिनट की होगी, जिसकी विषय वस्तु 400 शब्दों की होगी। आशुलेखन परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को एक मिनट का ट्रायल डिक्टेशन दिया जायेगा।
3. आशुलिपि परीक्षा में उपलब्ध करायी गई स्टेनो नोटपैड पर अभ्यर्थी द्वारा आशुलिपि में ही लिखना है। लांगहैंड में डिक्टेशन लिखने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त हो जाएगी।
4. आशुलिपि परीक्षा में 80 शब्द प्रति मिनट की अर्ह गति (क्वालिफाइंग) परीक्षा के लिए 05 मिनट में 400 शब्दों की डिक्टेशन मौखिक अथवा ऑडियो सिस्टम के माध्यम से बोली जाएगी। डिक्टेशन को पढ़ने के लिए 05 मिनट एवं उस विषय–वस्तु का कम्प्यूटर पर लिप्यांतरण या प्रतिलेखन हेतु 12 श०प्र०मि० की दर से 35 मिनट दिये जाएंगे। यह लिप्यांतरण कम्प्यूटर पर होगा।
5. डिक्टेशन में बोले गये 400 शब्दों के 5 प्रतिशत अर्थात 20 शब्द से अधिक अशुद्धियां होने पर परीक्षार्थी आशुलिपि परीक्षा में अनर्ह हो जाएगा।

आशुलेखन परीक्षा में प्रतिलेखन अशुद्धियों की गिनती निम्न प्रकार की जाएगी–

पूर्ण अशुद्धियां–

- प्रत्येक शब्द या अंक को छोड़ना या जोड़ना।
- किसी शब्द या अंक के स्थान पर दूसरा शब्द या अंक लिखना।
- शब्दों का आगे–पीछे होना या शब्दों की पुनरावृत्ति।
- वास्तविक एक शब्द के स्थान पर एक या अधिक शब्द लिखने पर भी अशुद्धि एक ही मानी जाएगी। जैसे किया 'जाए' को किया 'जा सकता है'।

आंशिक अशुद्धियां–

- वर्तनी की अशुद्धि, कौमा, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिह्न का गलत प्रयोग पर 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी।
- बिन्दु वाले शब्दों में बिन्दु न लगाने पर या अनुस्वार (बिन्दी) का गलत प्रयोग पर 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी।

अशुद्धियों की गणना इस प्रकार की जायेगी–

कुल अशुद्धियां = पूर्ण अशुद्धियां + आंशिक अशुद्धियां

कुलसचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार